:: नीलाम सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के किनारे विज्ञापन पट, क्योक्स, दीवार पेंटिंग व अन्य प्रचार कार्य के लाईसेंस शुल्क वसूली का ठेका, लाईसेंस शुल्क पर उपविधि की धारा–10 के अनुसार तीन वर्ष 2018–19 से 2020–21 (समयावधि 01–04–2018 से 31.03.2021 तक) के लिए दिनांक 18.05.2018 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में किया जायेगा। नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के रूप में 75,000/–रू0 जमा करने होंगे। जमानत राशि जमा न करने की दशा में बोली/नीलाम में भाग लेना सम्भव नहीं होगा। यदि उक्त दिनांक को नीलाम नहीं हो पाता है तो नीलाम होने तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को नीलाम किया जायेगा। नीलाम के समय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नीलाम में जिला पंचायत, मेरठ का बकायेदार, पागल, दिवालिया घोषित आदि व्यक्ति भाग नहीं लेगा। ठेके की शर्तें एवं उपविधि किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में देखी जा सकती है। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था बोली में भाग लेने का कष्ट करें।

366
DIO-NIC

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
11/5/18

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांक–5400/जि0पं0मे0/2018–19 दिनांकः– 9.5.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, मेरठ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्तीय परामर्शदाता/कार्य अधिकारी/अभियन्ता जिला पंचायत, मेरठ को उपरोक्त नीलाम सम्पन्न कराने हेतु।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला जज मेरठ/जिला पंचायत, मेरठ आदि कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना जनपद की बैबसाईट **meerut.nic.in.** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. सम्पर्क एडवरटाईजिंग एजेन्सी, सुभाष नगर, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक युवा रिपोर्टर मेरठ को अपने–अपने समाचार पत्र में उक्त नीलाम सूचना आगामी अंक में कम से कम स्थान पर एक बार प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

RT/SS
uploaded on web
15-05-18

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।